फार्म सं0-563

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

288 ... ग्राम, ... द

3 अभिलेख उपस्थापित।

राज कुमार राम पिता सुरेश राम, निवास स्थान ग्राम-जैलमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-जैलमा, थाना नं0-66, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-159, रकवा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि तुलेश्वर राम पिता स्व0 भीको राम, निवास स्थान जैलमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-30/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 119/रा0 दिनांक 11.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 288 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा आवेदित भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती टाँड-।। है। खतियानी रैयत धोधवा चमार वो चुटन चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.71 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.8375 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-32/1 में धधवा चमार के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.5875 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.5675 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कार्रवाई [illegible] टिप्पणी ता[illegible]
1	2	3
	अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में राज कुमार राम पिता सुरेश राम, निवास स्थान ग्राम-जैलमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-जैलमा, थाना नं0-66, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-159, रकबा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि तुलेश्वर राम पिता स्व0 भीको राम, निवास स्थान जैलमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.17 16:05:43 +05:30
Location: 192.168.43.127